राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2018/00169 बअनवान गजरो बनाम गंगा के कामु लखमा वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16/07/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री भरत चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी पक्ष के गवाह अनुपस्थित। चूंकि प्रतिवादी अधिवक्ता को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुति के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जा चुके है। बावजूद गवाह हाजिर नही है। लिहाजा इस स्टेज पर प्रतिवादी पक्ष की शहादत बंद की जाती है। उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष वकुलाय की बहस से ज्ञात है कि वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद वादीनी गजरो को स्वर्गीय परखिया पुत्र पाताजी का एकमात्र वारिस होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में वर्णित प्रथम श्रेणी की वारिस होने से ग्राम पुनाडिया के हाल खसरा नंबर 418 रकबा 0.67 हैक्टर व खसरा नंबर 358 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 1.34 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में दर्ज खातेदारान के साथ 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया तथा साथ ही घोषणा खातेदारी के पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का भी निवेदन किया है। वादीया ने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया, जो यह साबित करे कि गजरो स्व0 परखिया पुत्र पाताजी की ही लडकी हो, यदि गजरो परखिया की लडकी होती तो तत्समय के राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज पेश करती, परन्तु दस्तावेज का अभाव है। जिसके जवाब में प्रतिवादीगण की दलील है कि परखिया लाऔलाद फौत हो गया था तथा वादीनी परखिया की पुत्री न होकर ग्राम राजपूरा तहसील देसूरी निवासी खुमाजी मेघवाल की पुत्री है। तथा परखिया की मृत्यु के पश्चात नथिया पुत्र पाता भी लाऔलाद फौत होने से उनके पीछे वारिस दो बहने गंगा व मगनू होने से इनके नाम का नामांतरकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 से 02 दिनांक 27.11.1997 से बहैसियत खातेदार काश्तकार के वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। इस प्रकार वादीया का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं होते हुये मनगढन्त तथ्यो के आधार पर उक्त वाद पेश किया है, जो खारिज किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, क्योंकि जवाब में गजरो को राजपुरा निवासी खुमाजी मेघवाल की पुत्री होना बताया, परन्तु प्रमाण में दस्तावेज पेश नहीं है। गैस डायरी, राशन कार्ड व जॉब कार्ड गजरो के ससुराल के है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी दलीलो के समर्थन में अधिकृत अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे है। उक्त वाद वादीया का था, वादीया का दायित्व था कि वह अपने पिता की मृत्यु के समय के राशन कार्ड एवं वोटर लिस्ट एवं अपने जन्म से सबंधित कोई दस्तावेज पेश करती, परन्तु वादीया द्वारा ऐसा नहीं करते हुये अपने आपको स्व0 परखिया की ईकलौती संतान होने का दावा करते हुये वादग्रस्त भूमि में अपने 1/2 हिस्सा होने के हक स्वत्व का वाद पेश किया। तथा समर्थन में वर्तमान सरपंच के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज पेश कर दिये, जो न्यायालय कें अभिमत में पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान वादीया को चाहा गया अनुतोष देने की अनुमति प्रदान नही करते है। लिहाजा वादीया द्वारा ग्राम पुनाडिया के हाल खसरा नंबर 418 रकबा 0.67 हैक्टर व खसरा नंबर 358 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 1.34 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में दर्ज खातेदारान के साथ 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने बाबत् प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

गजरो पुत्री परखियाजी पत्नी धन्नारामजी जाति मेघवाल निवासी पुनाडिया तहसील बाली हाल गुडा जाटान तहसील देसूरी जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व0 गंगा पुत्री पाताजी के कायम मुकाम वारिसान–:
   1/1. लकमाराम पुत्र रामाजी
   1/2. दानाराम पुत्र रामाजी
   1/3. बंशीलाल पुत्र रामाजी
   1/4. मोतकी पुत्री रामाजी
   1/5. पाबू पुत्री रामाजी
2. स्व0 मगनु पुत्री पाताजी के कामु वारिस
   थानाराम पुत्र वीरमाराम जाति मेघवाल निवासी पुनाडिया तहसील बाली
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2018/00169

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादीया द्वारा ग्राम पुनाडिया के हाल खसरा नंबर 418 रकबा 0.67 हैक्टर व खसरा नंबर 358 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 1.34 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में दर्ज खातेदारान के साथ 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने बाबत् प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रांवली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16-07-25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner